दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध

रायगढ़ । जिले के नदियों-नालों, छोटी नदियों और उनकी सहायक नदियों जिन पर सिंचाई के लिए तालाब या जलाशय (बड़े या छोटे)निर्मित किये गये हैं, ऐसे सभी जलाशयों में 16 जून से 15 अगस्त 2021 तक मत्स्याखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में मत्स्याखेट करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास या 10 हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है। सहायक संचालक मत्स्योद्योग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्षा ऋतु में मछलियों की वंशवृद्धि(प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुए उन्हे संरक्षण देने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम की धारा के तहत 16 जून 2021 से 15 अगस्त 2021 तक बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। इस अवधि में मत्स्याखेट पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। यह नियम केवल छोटे तालाब या जल स्त्रोत, जिनका कोई संबंध किसी नदी से नाले से नहीं है के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होंगे।

मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना अंतर्गत 30 जून तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़ । मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ द्वारा ऋण लेकर स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने वाले इच्छुक आवेदकों से 30 जून 2021 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। उक्त योजनान्तर्गत आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, नि:शक्तजन, नक्सल प्रभावित एवं सेवानिवृत्त सैनिक को आयु सीमा में 5 वर्ष छूट की पात्रता होगी। आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों के साथ नियत तिथि तक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ में दो प्रतियों में जमा करना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत अधिकतम स्वीकार्य लागत, निर्माण एवं उद्योग इकाईयों हेतु 25 लाख, सेवा इकाईयों हेतु 10 लाख एवं व्यवसाय हेतु 2 लाख रुपए है। इसके लिए आवेदक को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। उद्योग एवं सेवा परियोजना में स्वीकृत ऋण पर लगने वाला बैंक गारंटी शुल्क तथा आगामी 4 वर्षों के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान शासन द्वारा दिया जाएगा तथा नियमानुसार ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। कोई भी व्यक्ति अथवा उनके परिवार के सदस्य जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हुए है वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में अन्य जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यालयीन समय में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

235 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की पदोन्नति एवं पदस्थापना का आदेश जारी

रायपुर (आरएनएस)। कृषि आयुक्त, कृषि संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा 235 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को कृषि विकास अधिकारी पद पर पदोन्नति दिए जाने के उपरांत उनकी नवीन पदस्थापना का आदेश जारी किया गया है। यह पदोन्नति विभागीय छानबीन की अनुशंसा के अनुसार वेतन मान रूपए 5200-20200 ग्रेड पे 2800 रूपए लेबल-7 के पद पर की गई है। पदोन्नत अधिकारियों को 15 दिवस के भीतर नवीन पदस्थापन स्थल पर ज्वाईनिंग देने के निर्देश दिए गए हैं।

पड़ती भूमि पर पौधे लगाने किसानों को करें प्रोत्साहित-कलेक्टर

» साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने कहा कि जिले के ऐसे कृषक जिनके पास पड़ती भूमि है जिसमें वे धान या अन्य फसल नहीं उगाते है उन्हें प्रोत्साहित करें कि उस जमीन का वे उपयोग वृक्षारोपण के लिए करें, इससे उन्हें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत प्रति एकड़ 10 हजार रुपये आदान सहायता राशि मिलेगी। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी यह फायदेमंद होगा। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को तीन वर्षों तक आदान सहायता राशि दी जाएगी। जिससे आर्थिक रूप से किसान का विकास होगा।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि पड़ती भूमि में वृक्षारोपण करने हेतु गांवों में हेल्प डेस्क भी स्थापित करें और अधिक से अधिक इसका प्रचार करें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों की आय सहित कृषि वानिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना हाल ही में लागू की गई है। जिसमें फलदार, इमारती और गैर इमारती प्रजाति के वृक्षों के रोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। इसके लिए पेड़ काटने और उसके परिवहन संबंधी प्रावधानों को भी सुगम बनाया गया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायतें अथवा वन प्रबंधन समिति द्वारा वृक्षारोपण किये जाने पर उन्हें भी 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस योजना से अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करें। कलेक्टर सिंह ने कहा कि जिले में एक हजार एकड़ में प्लांटेशन करना है। इसके लिए सभी संबंधित विभाग जरूरी तैयारियों के साथ कार्य करें।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि रागी फसल उत्पादन से भी किसान कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए किसानों को इसके लिये भी प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को रागी के लड्डू पोषण आहार के रूप में देने की तैयारी चल रही है। इसके लिए जिला प्रशासन किसानों से 45 रुपये प्रति किलो में रागी खरीदेगा।

कलेक्टर सिंह ने मुख्यमंत्री जनचौपाल, कलेक्टर जनचौपाल एवं पीजीएम के दो माह के लंबित प्रकरण को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को उनके क्षेत्र अंतर्गत वन अधिकार पट्टा एवं केसीसी बनाने के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल एवं ऑनलाईन पढ़ाई के संबंध में डीईओ से जानकारी ली।

इस दौरान एडीएम राजेन्द्र कटारा, नगर निगम आयुक्त एस.जयवर्धन, सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल, डीएफओ रायगढ़ प्रणय मिश्रा, डीएफओ धरमजयगढ़ मणिवासगन एस, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरुवंशी, सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

❒ गोधन न्याय योजना की हुई समीक्षा - कलेक्टर सिंह ने गोधन न्याय योजना की समीक्षा करते हुये कहा कि जिन गोठानों में गोबर की खरीदी कम है वहां एसडीएम को निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर खरीदी बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन नये गोठानों में खरीदी प्रारंभ कर ली गई है वहां वर्मी पिट निर्माण का कार्य जल्द पूरा करें। जिससे वहां वर्मी कम्पोस्ट निर्माण कार्य भी समय से प्रारम्भ किया जा सके। साथ ही जिन गौठानों में शेड नहीं है उनमें जल्द शेड बनाने के निर्देश दिये। ऐसे गांव जहां गौठान स्वीकृत हो चुके है तथा भूमि का चिन्हांकन हो चुका है वहां गौठान निर्माण का कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश भी उन्होंने दिये। उन्होंने सभी सहकारी समितियों में किसानों की सुविधा के लिये वर्मी कम्पोस्ट रखवाने के निर्देश दिये। गौठानों में बाहर रखे गोबर को डिकम्पोजर डालकर सुपर कम्पोस्ट बनाने के लिये कहा। उन्होंने गोधन न्याय योजना की जानकारियों को नियमित रूप से एप में अपडेट करने के निर्देश भी दिये।

❒ लगातार चलाये मास्क जांच अभियान- कलेक्टर सिंह ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि कोरोना के केस तो कम हो गये है, परंतु अभी भी हमें पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने सभी एसडीएम व संबंधित अधिकारियों से कहा कि कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित हो। उन्होंने लगातार मॉस्क जांच अभियान जारी रखने के निर्देश दिये। बिना मास्क के निकलने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बार्डर पर भी लगातार निगरानी रखी जाए। उन्होंने उद्योग विभाग के अधिकारी को उद्योगों में बाहर से आने वाले श्रमिकों की जांच करते रहने के निर्देश दिये।

मनरेगा अंतर्गत लक्ष्य के विरूद्ध रोजगार उपलब्ध कराने में प्रदेश में रायगढ़ जिला अव्वल

» ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के आधार पर पर्याप्त कार्य उपलब्ध

रायगढ़। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत लक्ष्य के विरूद्ध रोजगार उपलब्ध कराने प्रदेश में रायगढ़ जिला प्रथम स्थान पर है। जिले को वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्राप्त लक्ष्य 35.53 लाख मानव दिवस के विरूद्ध 26.20 लाख मानव दिवस अर्जित कर लिया गया है जो कि लक्ष्य का 73.74 प्रतिशत है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जिले में आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त कार्य स्वीकृत किये गये है जैसे नवीन तालाब निर्माण, तालाब गहरी करण कार्य, भूमि सुधार कार्य, डबरी निर्माण कार्य, कुंआ निर्माण कार्य, मिट्टी सड़क निर्माण कार्य, गाय, मुर्गी एवं बकरी कोठा निर्माण कार्य जो मनरेगा के तहत स्वीकृति योग्य है उन समस्त कार्यों को अधिकतर मात्रा में स्वीकृत की गई है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के आधार पर पर्याप्त कार्य उपलब्ध है। जिस कारण 3 माह में लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है।

बिहार में युवक के कई ठिकानों में दबिश देने के बाद देवघर (झारखंड) में मिली गुम बालिका

» नाबालिग को भगा ले जाने वाले आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़(पुसौर)। दिनांक 26/05/2021 को पुसौर थाने में नाबालिग बालिका के गुम होने की रिपोर्ट पर अप.क्र. 99/2021 धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। पुसौर पुलिस बालिका के रिश्तेदारों, सहेलियों से पूछताछ कर संदेही युवक एवं बालिका की पतासाजी की जा रही थी कि दिनांक 10/06/2021 को गुम बालिका के परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर एसपी संतोष सिंह से मिले। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुसौर थाने की सुपरविजन अधिकारी गरिमा द्विवेदी से प्रकरण की जानकारी लिए जिस पर डीएसपी गरिमा द्विवेदी ने बताया कि संदेही युवक का लोकेशन सायबर सेल से निकला गया है, संदेही लगातार लोकेशन बदले जाने पर टीम रवाना नहीं की गई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल टीम गठन कर बालिका की पतासाजी के लिए रवाना करने के निर्देश दिए जिस पर डीएसपी गरिमा द्विवेदी द्वारा थाने के प्रधान आरक्षक उमाशंकर नायक के हमराह आरक्षक सुरेश सिदार, हरीश चन्द्रा, सायबर सेल के आरक्षक प्रशांत पंडा एवं महिला आरक्षक प्रतीक्षा मिंज की टीम गठन कर संदेही के निवास जिला नवादा (बिहार) टीम रवाना किया गया। जहां कई स्थानों पर पुसौर पुलिस द्वारा दबिश दिया गया। इसी बीच लगाये मुखबिरों से संदेही के जिला देवघर (झारखंड) में छिपे होने की जानकारी मिली। टीम जिला देवघर पहुंचने के बाद स्थानीय मधुपुर पुलिस की मदद लेकर संदेही के ठिकाने पर दबिश दिया गया जहां संदेही मोहम्मद मोफिज शाह के कब्जे में बालिका मिली। संदेही मोहम्मद मोहसिन शाह व बालिका को पुसौर लाया गया। बालिका के कथन, मेडिकल के बाद प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 4, 6 पास्को एक्ट की धारा विस्तारित की गई है। आरोपी मोहम्मद मोफिज शाह पिता मोहमद निशार शाह उम्र 24 वर्ष साकिन मुनैदी थाना अकबरपुर जिला नबादा (बिहार) बताया कि पिछले 6-7 साल से रायगढ़ में रहकर ट्रेलर वाहन चलाता है, पिछले कई महीनों से ट्रेलर एनटीपीसी, लारा में चल रही थी, इसी दौरान बालिका को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे बहला-फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर बिहार ले गया था। पुसौर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। बालिका को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया है, पुसौर पुलिस की कार्यवाही पर परिजन द्वारा संतोष व्यक्त कर किया गया है।

क्राईम मिटिंग... अनुविभागवार अपराध, शिकायतों की पुलिस अधीक्षक ने की समीक्षा

» एसपी कार्यालय में पुलिस राजपत्रित अधिकारियों की हुई बैठक

» सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने सहित महत्वपूर्ण कार्ययोजना पर कार्य करने के दिये निर्देश

रायगढ़। दिनांक 15/06/20 21 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी संतोष कुमार सिंह द्वारा अनुविभागवार लंबित अपराधों, शिकायतों एवं आगामी कार्ययोजना को लेकर जिले के सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारियों की बैठक लिए।

बैठक में सभी अधिकारीगण मिटिंग के एजेंडा अनुसार जानकारी साथ लेकर एसपी कार्यालय मीटिंग कक्ष में उपस्थित हुये। पुलिस अधीक्षक अनुविभागवार लंबित अपराध, शिकायत, मर्ग की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेकर उनके निकाल हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये। अनुविभागीय अधिकारियों को लंबित शिकायतों की समयसीमा में जांच करावाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा गया। अनसुलझे प्रकरणों की डायरी समीक्षा उपरांत कुछ प्रकरणों की डायरी विवेचना अधिकारी को स्वयं लेकर आहूत किये हैं।

समीक्षा बैठक में आगामी कार्ययोजना को लेकर चर्चा दौरान सर्वप्रथम सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने अनुविभाग स्तर पर किये जा रहे कार्यों पर अनुविभागीय अधिकारियों से एक-एक चर्चा किये, जिसके बाद डीएसपी यातायात एवं अधिकारीगण को अनुविभागों में यातायात जागरूकता को लेकर कोविड प्रोटोकाल का पालन कर जागरूकता कार्यक्रमों के साथ मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही अमल में लाने तथा जिन स्थानों पर दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, वहां संकेतक, स्पीड ब्रेकर लगाने पीडब्लूडी/एनएच से सम्पर्क कर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये। बैठक में फरारी में चालान किये आरोपियों की पतासाजी में किये गये प्रयासों को लेकर पुलिस अधीक्षक नाराजगी जताये और जिन प्रकरणों में टीम दिगर प्रांत भेजा जाना है, उसकी अनुमति प्राप्त कर टीम जल्द से जल्द भेजें व आरोपियों की पतासाजी गिरफ्तारी का ठोस प्रयास करें। पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिकारियों को समय-समय पर थाना, चौकियों का सरप्राइज चेक कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है, जिससे अधिकारियों, कर्मचारियों का अनुशासन और बेहतर हो। अवैध शराब पर पिछले दिनों चलाये गये विशेष अभियान को संतोषजनक बताते हुए लगातार अवैध शराब पर कार्यवाही कराने का निर्देश दिया गया है।

समर्पण अभियान... निराश्रित वृद्धजन का कुशलक्षेम जानने पहुंचे थाना प्रभारीगण

» कोविड वैक्सीनेशन से वंचित रहे वृद्धजनों की मदद के लिए एसपी ने दिया था निर्देश

रायगढ़। बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के प्रति जागरूकता फैलाने तथा उनकी उपेक्षा पर आवाज उठाने हर साल 15 जून को World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD) मनाया जा रहा है। इस विशेष दिन पर सिनीयर सिटीजन सेल के जिला नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक यातायात पुष्पेंद्र बघेल द्वारा द्वारा सभी थाना , चौकी प्रभारियों को समर्पण अभियान दौरान जोड़े गये बुजुर्गों का कुशलक्षेम पूछने एवं उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो यथासम्भव मदद करने निर्देशित किया गया।

वहीं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर वृद्धजनों में भ्रांतियों को दूर कर उन्हें वैक्सीनेशन के प्रति प्रोत्साहित कर टीकाकरण से वंचित वृद्धजनों की मदद करने का निर्देश दिया गया है। निर्देशों के पालन में आज थाना, चौकी प्रभारीगण अपने स्टाफ के साथ थानाक्षेत्र के वृद्धजनों का कुशलक्षेम जानने पहुंचे। उनसे उनकी समस्याओं तथा विशेषकर वैक्सीनेशन के संबंध में चर्चा किये। कई वृद्धजन वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम में थे, जिन्हें अफवाहों और सत्यता के बारे में बतलाया गया, साथ ही उनके वैक्सीनेशन का प्रबंध प्रभारियों द्वारा किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन में भाग लेने अब तक 3.50 लाख से ज्यादा लोगों ने किया ऑनलाइन पंजीयन

» लोगों के उत्साह को देखते हुए पंजीयन की तिथि 20 जून तक बढ़ी

» अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन का होगा आयोजन

» प्रतिभागी अब 20 जून 2021 तक कर सकते हैं ऑनलाइन पंजीयन

» हर जिले के प्रथम 100 पंजीयनकर्ता को मिलेगी टीशर्ट

रायगढ़ । छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित होने वाले 'छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन' को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मैराथन के लिए अब तक 3 लाख 50 हजार से अधिक लोगों द्वारा इसमें भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन किया गया है। इस मैराथन में सम्मिलित होने के लिए प्रतिभागियों के उत्साह को देखते हुए पंजीयन की अंतिम तारीख 15 जून से बढ़ाकर अब 20 जून 2021 तक कर दिया गया है। प्रतिभागी http://jansam-park.cg.gov.in/yogwith-chhattisgarh/Registration.aspx लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते है। सभी पंजीयनकर्ताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। साथ ही हर जिले के प्रथम 100 पंजीयन को टीशर्ट प्रदान किया जाएगा।

समाज कल्याण विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन में भाग लेने हेतु आवेदक को योगासन करते हुए अपना फोटो/वीडियो अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स पर हैशटेग #yogwithchhattis-garh के साथ शेयर करना है। इसके अलावा प्रतिभागी अपना फोटो/वीडियो international-lyogaday2021@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं।

18 प्लस वाले पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर लगवा सकते है टीका

रायगढ़। शासन द्वारा छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति को संक्रमण से बचाने के लिये 18 से 44 आयु वर्ग के लिये नि:शुल्क टीकाकरण की स्वस्फूर्त पहल की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी ने बताया कि टीका उपलब्ध होने पर स्वास्थ्य विभाग शत-प्रतिशत टीकाकरण के लिये प्रतिबद्ध है। वर्तमान में जिले में 18 से 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जो पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके लिये हितग्राही को सीजी टीका पोर्टल https://cgteeka.cgstate.gov.in/user-registration में पंजीयन करना होगा। जिले में संचालित कोविड वेक्सीनेशन

सेंटरों में बुकिंग कर अपना प्रथम डोज लगने की तिथि व वेक्सीनेशन सेंटर स्वयं सुनिश्चित कर सकते है। साथ ही अगर हितग्राही प्रथम डोज लगने की अवधि पूर्ण कर चुके है वे भी अपना द्वितीय डोज के लिये तिथि व वैक्सीनेशन सेंटर बुक करते समय इसके लिये उन्हें प्रथम डोज का पंजीयन करते समय जो पंजीयन क्रमांक प्राप्त होता है उसी पंजीयन क्रमांक से द्वितीय डोज के लिये वेक्सीनेशन सेंटर में जाकर अपना तिथि व वेक्सीनेशन सेंटर का मिलान कर वेक्सीनेशन करवा सकते है।

❒ अधिक जानकारी के लिये इन नंबरों पर करें संपर्क- सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक मोबा नं. 7647921193, 7647921146, दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक 7647921172, 7647921147 तथा रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 7647921175, 7647921184 है। 24×7- 7647921154, 7647921157 आपात कालीन एम्बुलेंस सेवा 108 छ.ग.हेल्पलाइन नंबर 104 एवं स्थानीय कार्यालय कंट्रोल नंबर 07762-228000 में संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

रायगढ़ जिले में अब तक 18 से 44 वर्ष के लगभग 90 हजार हितग्राहियों को प्रथम डोज का वेक्सीनेशन किया जा चुका है तथा लगभग 2 हजार हितग्राहियों का द्वितीय डोज वैक्सीनेशन हो गया है।

❒ टीका एक सुरक्षात्मक उपाय है, लेकिन इसके बावजूद अनिवार्य सॉवधानियां है आवश्यक - नाक मुंह को ढ़कते हुये मास्क लगाये और भीड़ वाली जगह पर जाने से बचे। साबुन पानी से हाथ धोते रहे। लक्षण पाये जाने पर घबरायें नहीं डॉक्टरी सलाह लें, सही समय पर उपचार होने पर जल्दी स्वास्थ्य लाभ होता है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480